आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
27/06/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 107/2006** **श्याम सुन्दर महतो व अन्य बनाम् भोन्दू बेदिया** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–214–R15/1997-98 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। मूलतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची द्वारा भूमि वापसी संख्या–08/93 में मौजा–साहेदा, अंचल–सिल्ली के खाता संख्या–35, प्लॉट संख्या–1740 में अवस्थित, रकबा–1.18 डिसमिल भूमि के वापसी का दावा अस्वीकृत किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को रद्द करते हुये भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में उभयपक्षों की सुनवाई की गयी तथा उभयपक्ष को लिखित बहस दायर करने हेतु निदेशित किया गया था। मात्र आवेदकों की तरफ से लिखित बहस दायर की गयी। आवेदकों का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि खतियानी रैयत द्वारा पूर्व जमीन्दार को दिनांक–28.08.1937 को इस्तीफा की गयी, जिसके पश्चात् आवेदकों के पिता के साथ दिनांक–15.06.1944 को उक्त भूमि की बंदोबस्ती की गयी। उक्त तिथि से ही आवेदक के नाम से लगान रसीद निर्गत है तथा जमाबन्दी कायम है। इस प्रकार भूमि वापसी का दावा जो वर्ष–1995 में किया गया है, 50 वर्षों के विलम्ब से दायर किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा सभी तथ्यों की विवेचना करते हुये आदेश पारित किया गया था, किन्तु अपील न्यायालय द्वारा एक भ्रामक आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी भी तथ्यों के संबंध में कोई विवेचना नहीं की गयी है। प्रश्नगत् भूमि के इस्तीफा के समय में किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त भूमि लगातार आवेदकों के दखल में रही है। वर्तमान सर्वे के दौरान प्रश्नगत् भूमि आवेदकों	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	के नाम से इन्द्राज की जा चुकी है। धारा–89 के तहत् पारित इस आदेश को चुनौती नहीं देकर विपक्षियों द्वारा भूमि वापसी का वाद दायर कर दिया गया। इस प्रकार यह विषय भूमि वापसी के प्रावधानों के तहत् आच्छादित नहीं है। आवेदकों के तरफ से अपने दावे के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, राँची के न्यायालय में धारा–144 में पारित आदेश एवं विभिन्न लगान रसीद दायर की गयी है। विपक्षी की तरफ से कहा गया कि प्रश्नगत् भूमि आदिवासी रैयती भूमि है तथा सादा इस्तीफा एवं बंदोबस्ती के आधार पर उसे हस्तांतरित किया गया है। प्रश्नगत् भूमि का दाखिल–खारिज वर्ष–1956–57 में किया गया है, जिसकी विपक्षियों को जानकारी नहीं थी। सर्वे के दौरान किये गये इन्द्राज से भूमि का स्वत्व परिवर्तन हो रहा है, अतः यह विषय आदिवासी भूमि के हस्तांतरण का है। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः उचित है। उभयपक्षों की सुनवाई तथा अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि वर्ष–1937 में इस्तीफा एंव वर्ष–1944 में बंदोबस्ती के माध्यम से अपीलार्थियों को प्राप्त हुई है। उक्त समय आदिवासी भूमि के ऐसे बंदोबस्ती हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। जमीन्दारी उन्मूलन के समय से ही आवेदकों के पक्ष में भूमि की रसीद निर्गत है तथा जमाबंदी कायम है। जमीन्दारी रिटर्न में भी आवेदकों के नाम से उल्लेख है, जिसके आधार पर जमाबन्दी कायम की गयी है। इस प्रकार भूमि वापसी का वाद जो वर्ष–1995 में दायर किया गया है, कथित बंदोबस्ती के 50 वर्षों के पश्चात् दायर किया गया है, जो स्पष्टतः कालबाधित माना जायेगा। विपक्षियों के पास प्रश्नगत् भूमि के संबधं में कोई लगान–रसीद उपलब्ध नहीं है। यह भी विचारणीय है कि विपक्षी बेदिया समुदाय से आते हैं। इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में वर्ष–1956 में ही जोड़ा गया है। अतः वर्ष–1956 के पूर्व किये गये भूमि के हस्तांतरण के मामलों में धारा–71–ए के प्रावधानों का लाभ इस समुदाय के लोगों को दिया जाना संभव नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	उभयपक्षों के गवाहों के द्वारा भूमि का अंतरण कब एवं कैसे किया गया, इस विषय पर कोई जवाब प्राप्त नहीं है। प्रभारी बंदोबस्ती प्रभारी के समक्ष धारा–89 के अन्तर्गत पारित आदेश के पश्चात् द्वितीय अपील भी दायर नहीं की गयी। उक्त धारा–89 के बाद में भी गवाहों के द्वारा वाद दायर किये जाने से ही इनकार किया गया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर के न्यायालय में धारा–144 के तहत् वाद संख्या–1242/2017 में जो विपक्षियों के द्वारा दायर किया गया था, उसमें भी यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत् भूमि पर आवेदकों का ही दखल–कब्जा है तथा आवेदकों के द्वारा ही उक्त भूमि पर खेती भी की जा रही है। अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई मंतव्य अथवा समीक्षा किये बगैर मात्र भूमि का हस्तांतरण इस्तीफा एवं बंदोबस्ती के आधार पर होने के कारण भूमि वापसी का दावा मान्य किया गया है, जो स्पष्टतः तथ्यपरक नहीं है। प्रश्नगत् मामले में धारा–71–ए के प्रावधान लागू नहीं किये जा सकते है। भूमि वापसी का दावा पूर्णतः कालबाधित है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करते हुये अपीलीय न्यायालय का आदेश खारिज किया जाता है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश यथावत् रहेगा। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.18 15:29:13 +05:30
Location: 10.93.72.187